

मध्य प्रदेश भोज (मुक्त) विश्वविद्यालय भोपाल, (म.प्र.)
Madhya Pradesh Bhoj (Open) University, Bhopal (M.P.)

(Accredited with Grade 'A' by NAAC)

(Established under the Act of 1991 by M.P. Legislative Assembly)

पता : राजा भोज मार्ग, कोलार, भोपाल- 462016

मस्त पत्र व्यवहार कुलसचिव म.प्र. भोज (मुक्त) विश्वविद्यालय के नाम से ही किया जावे न कि किसी अन्य पदाधिकारी के नाम से संबंधित विषय पर यदि पूर्व में पत्र व्यवहार हुआ हो तो पत्र क्रमांक एवं दिनांक अवश्य लिखा जावे जिससे सुविधा हो।



क्रमांक 6558 / प्रमू/मप्रभोमुवि/2025

भोपाल, दिनांक 29.07.2025

अधिसूचना

मध्यप्रदेश भोज (मुक्त) विश्वविद्यालय द्वारा **FC-SEDE BATCH-I** सत्रांत परीक्षा-2025 का परीक्षा परिणाम दिनांक 28/07/2025 को घोषित किया जाता है। सांख्यिकी निम्नानुसार है :-

FC-SEDE BATCH-I 2025

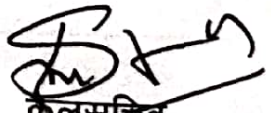
TOTAL	NOT APPEARED	APPEARED	PASS	FAIL	W/H	UFM	PASS %
16	8	8	8	0	0	0	100%

परीक्षा परिणाम विश्वविद्यालय की वेबसाईट www.mpbou.edu.in पर अवलोकित किया जा सकता है।

पाठ्यक्रम प्रवेश मार्गदर्शिका में प्रवेश प्रक्रिया स्पष्ट प्रदर्शित है कि एमपीऑनलाईन के माध्यम से प्रवेश जानकारी दर्ज करने के उपरांत प्रवेश आवेदन फार्म मय अर्हता, संबंधित अध्ययन/क्षेत्रीय केंद्र में जमा करना अनिवार्य है। अध्ययन केंद्र, अर्हता प्राप्त, विधिवत् प्रवेश आवेदन फार्म जमा किए विद्यार्थियों की अंकसूचियों अपने हस्ताक्षर/मुद्रा के साथ जारी करेंगे। वे विद्यार्थी, जो विधिवत् रूप से प्रवेश प्रक्रिया पूर्ण नहीं करते हैं, परीक्षा परिणाम प्राप्त करने हेतु पात्र नहीं हैं।

FC-SEDE में (ओएमआर पद्धति पर आधारित होने के कारण) पुनर्मूल्यांकन/पुनर्गणना की पात्रता नहीं है। संशोधन हेतु अधिकतम 180 दिवस का समय निश्चित है। इसी प्रकार यदि किसी विद्यार्थी का परिणाम छूट गया हो अथवा अघोषित हो तो विवि द्वारा परिणाम जारी दिनांक से 180 दिवस के भीतर संबंधित अध्ययन केंद्र/क्षेत्रीय केंद्र से संपर्क कर वांछित दस्तावेजों सहित आवेदन प्रस्तुत कर सकता है। उक्त अवधि के उपरांत संशोधन हेतु मान्य नहीं होंगे।

(माननीय कुलगुरुजी द्वारा अनुमोदित)

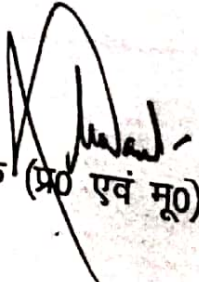

कुलसचिव

पृ० क्र०: 6559 / प्रमू/मप्रभोमुवि/2025

दि०: 29.07.2025

प्रतिलिपि :

1. निज सचिव के माध्यम से मान० कुलगुरु, मप्रभोमुवि को सूचनार्थ।
2. निदेशक विस एवं क्षेत्र, मप्रभोमुवि को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
3. निदेशक आईटी, मप्रभोमुवि को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
4. विभागाध्यक्ष, डीएसई विभाग, मप्रभोमुवि को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु सूचना पटल में चस्पा करने का कष्ट करें।
5. समस्त समन्वयक/प्राचार्य, आवश्यक कार्यवाही हेतु, सूचना पटल में चस्पा करने का कष्ट करें।
6. प्रभारी, सीव्ही शाखा, मप्रभोमुवि आवश्यक कार्यवाही हेतु।
7. परीक्षा परिणाम समिति, मप्रभोमुवि को सूचनार्थ।
8. टीआर शाखा, मप्रभोमुवि को आवश्यक कार्यवाही हेतु।
9. स्वागत कक्ष को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।


निदेशक (प्र० एवं मू०)